न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर 31

प्रकरण सं. 36/2019 प्रा0पेत्रा (भीलवाड़ा)

श्री नंदरामदास वैष्णव बनाम 1– रामलाल भील वगै0।

दिनांक : 30.12.2019.

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में रास्ते के संबंध में मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त होकर पत्रावली के साथ शामिल फायल हैं।प्रकरण बहस समायत की गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम उदयरामजी का गुढा से डोडखेड़ा रास्ते के सहारे अप्रार्थी की आ0नं0 1092/533 से अपनी आ0नं0 532/1, 529, 530, 531 में से होकर आता–जाता है। प्रार्थी की उक्त आराजियात में आने–जाने का यह एकमात्र रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी को रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर मना कर दिया व रास्ते को बंद कर जबरन मौके पर दीवार का निर्माण शुरू कर दिया। अप्रार्थी की उक्त आराजी में से 15 फीट का नया रास्ता दिलाने एवं राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिये तैयार है। पत्रावली में उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट के देखने से जाहिर है कि प्रार्थी, अप्रार्थी की जिस आराजी से रास्ता चाहा जा रहा है वह किस्म गै0मु0औधोगिक प्रयोजनार्थ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत किस्म गै0मु0औधोगिक प्रयोजनार्थ भूमि में रास्ता दिये जाने के प्रावधान इस न्यायालय में पौषणीय नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलाश सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.03.03 17:06:26 IST
Reason: SelfAttested